न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 410/2014 निर्णय दिनांक :– 12-6-19

उनवान

1. अविनाश अग्रवाल पुत्र प्रेमनारायण अग्रवाल जाति महाजन निवासी मकान नं0 88, शिवाजी चौक ब्रह्मपुरी जयपुर राजस्थान।

––प्रार्थीगण––

बनाम

1. चतुभुर्ज पुत्र श्योकरण
2. मंगलचंद पुत्र श्योकरण

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम उदयपुरिया तहसील चाकसू जिला जयपुर।

––अप्रार्थी––

वाद बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अधीन धारा 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया कि :–

तहसील चाकसू के ग्राम चंदलाई में खाता संख्या 24 के खसरा नम्बर 6269/6450 रकबा 0.43 है0 खसरा नम्बर 6271/6350 रकबा 0.09 कुल किता 2 कुल रकबा 0.52 है0 स्थित है जो [illegible] रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज है तथा वादी की उक्त आराजी [illegible] की भूमि स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:20:16 IST
Reason: SelfAttested

वादी अपनी आराजी पर शांतिपू[illegible] काबिज काश्त [illegible] अपनी उक्त आराजी पर काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहा है मौके पर वादीगण ने अपने कब्जे में तारबंदी कर रखी है। वादी अपनी उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू, (जयपुर)

कब्जे व उपयोग उपभोग मे है। प्रतिवादीगण का वादीगण की उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं है वह एक भूमाफिया प्रवृति के व्यक्ति है वह जबरन वादी की उक्त भूमि पर कब्जा करना चाहते है। प्रतिवादीगण वादी के लगवा अपनी भूमि होने की आड में जबरन बाहुबल से वादी के कब्जे की भूमि पर कब्जा करना चाहते है। इसी कम में गत दिनांक 10/11/2017 को प्रतिवादीगण कुछ दीगर व्यक्तियो को साथ लेकर मौके पर आये तथा जबरन वादी की उक्त भूमि में घुसने का प्रयास किया तथा वादी को जबरन बेदखल कर पुख्ता निर्माण करने की धमकी दी साथ ही दोनो पक्षो की सीमा को भी कायम नही मानते हुये अपनी लगवा भूमि की आड में वादी के खेतो में पुख्ता निर्माण करने की कोशिश की। प्रतिवादीगण की गैर कानूनी कार्यवाही को देखते हुये वादी के लिये यह आवश्यक हो गया कि वो प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवा दे कि वो वादी के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा वादीगण की कब्जे वाली भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास नही करे ना ही किसी अन्य से करावे। दावे के लिये वाद हैतुक दिनांक 10/11/2017 को जब प्रतिवादीगण चने मौके पर आकर वादी को बेदखल कर पुख्ता निर्माण करने की धमकी दी तब पैदा होकर निरन्तर जारी है। दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा का डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वो वादग्ररत आराजी वर्णित मद नं. 1 के वादी के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे वादी को बेदखल नही करे तथा मौक की यथास्थिति बनाये रखे मौके पर कब्जा व निर्माण नही करे ना ही किसी अन्य से करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:20:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू